Indian Journal of Multidisciplinary Research and Studies
ISSN: 3108-1681 | Volume- 1, Issue- 4 | October - December 2025

भारतीय लोकतंत्र में चुनावी सुधारों की आवश्यकता और चुनौतियाँ

दिलीप गुप्ता
शोध छात्र, हरि सिंह महाविद्यालय

सारांश

भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली शासन व्यवस्था की आधारशिला मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सशक्त बनाते हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ नियमित रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का आयोजन किया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, विश्वसनीय और प्रभावी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग, वीवीपैट प्रणाली का समावेश, मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था तथा उम्मीदवारों द्वारा अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति की घोषणा। इन सुधारों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाना तथा मतदाताओं के विश्वास को सुदृढ़ करना रहा है। इसके बावजूद वर्तमान समय में भारतीय चुनाव प्रणाली अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव, राजनीति का अपराधीकरण, चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता का अभाव तथा मतदाता जागरूकता की कमी जैसी समस्याएँ चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करती हैं। इन परिस्थितियों में चुनावी सुधारों की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रस्तुत शोध-पत्र में भारतीय लोकतंत्र में चुनावी सुधारों की आवश्यकता, अब तक किए गए प्रमुख सुधारों तथा उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। साथ ही भविष्य में चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए संभावित उपायों पर भी विचार किया गया है।

मूल शब्दः भारतीय लोकतंत्र, चुनावी सुधार, निर्वाचन आयोग, चुनाव प्रणाली, राजनीतिक सुधार, मतदाता जागरूकता, लोकतांत्रिक व्यवस्था।

प्रस्तावना

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ शासन व्यवस्था की आधारशिला जनता की सहभागिता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों पर आधारित है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव केवल सरकार के गठन का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे जनता की संप्रभुता, राजनीतिक उत्तरदायित्व तथा जन-प्रतिनिधित्व के मूल सिद्धांतों को साकार करने का महत्वपूर्ण साधन भी हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था स्थापित कर प्रत्येक नागरिक को शासन प्रक्रिया में सहभागी बनने का अधिकार प्रदान किया। इसी कारण भारत की चुनाव प्रणाली लोकतंत्र की मजबूती और स्थायित्व का प्रमुख आधार मानी जाती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में समय-समय पर चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाने के लिए अनेक सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं। निर्वाचन आयोग की स्थापना, चुनावी आचार संहिता का क्रियान्वयन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) तथा वीवीपैट (VVPAT) जैसी तकनीकी व्यवस्थाओं का उपयोग, तथा उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति की घोषणा जैसी व्यवस्थाएँ इसी दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयास हैं। इन सुधारों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय, पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाना रहा है।

फिर भी वर्तमान समय में भारतीय चुनाव प्रणाली कई चुनौतियों का सामना कर रही है। राजनीति में धनबल और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या, चुनावी खर्च में पारदर्शिता का अभाव, राजनीतिक दलों के आंतरिक लोकतंत्र की कमी तथा मतदाता जागरूकता की सीमाएँ जैसी समस्याएँ चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रभावित करती हैं। इन परिस्थितियों में चुनावी सुधारों की आवश्यकता और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, ताकि लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को बनाए रखा जा सके।

भारतीय चुनाव प्रणाली का संक्षिप्त परिचय

भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रणाली का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसी के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है और शासन की दिशा निर्धारित करती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिनके अंतर्गत देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग को सौंपी गई है। भारत में चुनाव प्रणाली का आधार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, जिसके अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का प्रत्येक नागरिक मतदान करने का अधिकार रखता है। यह व्यवस्था लोकतंत्र के मूल सिद्धांत 'जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन' को साकार करती है। भारत में चुनाव मुख्यतः प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रणाली (First-Past-The-Post System) पर आधारित हैं, जिसमें जिस उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, वही विजयी घोषित किया जाता है। यह प्रणाली लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों में अपनाई जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनावों में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जहाँ निर्वाचित प्रतिनिधि मतदान करते हैं।

भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता यह है कि यह विशाल जनसंख्या, विविध सामाजिक संरचना और भौगोलिक विस्तार के बावजूद नियमित रूप से चुनावों का सफल संचालन करती रही है। स्वतंत्र भारत में 1951-52 में प्रथम आम चुनाव आयोजित किए गए थे, जो विश्व के इतिहास में सबसे बड़े लोकतांत्रिक चुनाव माने जाते हैं। समय के साथ चुनाव प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक तकनीकी और प्रशासनिक सुधार किए गए हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग, वीवीपैट प्रणाली का समावेश, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) की व्यवस्था तथा मतदाता सूची के डिजिटलीकरण जैसी पहलें। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) का पालन सुनिश्चित किया जाता है, जिससे चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और समान अवसर की भावना बनी रहती है। आयोग राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की गतिविधियों पर निगरानी रखता है तथा चुनावी नियमों के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई करता है।

चुनावी सुधार की आवश्यकता

भारतीय लोकतंत्र की सफलता काफी हद तक चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। यद्यपि भारत में चुनाव प्रणाली ने समय-समय पर अनेक सफलताओं को प्राप्त किया है, फिर भी बदलते सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवेश के कारण चुनावी व्यवस्था के समक्ष कई नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। इन चुनौतियों के कारण चुनाव प्रक्रिया की गुणवत्ता और लोकतांत्रिक आदर्शों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे चुनावी सुधारों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे प्रमुख समस्या राजनीति में धनबल और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव की है। चुनाव लड़ने की प्रक्रिया अत्यधिक खर्चीली होती जा रही है, जिसके कारण सामान्य और ईमानदार उम्मीदवारों के लिए चुनाव में भाग लेना कठिन हो जाता है। कई बार उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना होती है। इसी प्रकार राजनीति का

अपराधीकरण भी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। अनेक मामलों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं और कई बार निर्वाचित भी हो जाते हैं, जिससे शासन व्यवस्था की नैतिकता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं।

इसके अतिरिक्त चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता का अभाव भी चुनावी सुधार की आवश्यकता को बढ़ाता है। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे और चुनावी खर्च के स्रोतों में स्पष्टता का अभाव लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। इस स्थिति में धन के दुरुपयोग और अपारदर्शी वित्तीय लेन-देन की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की कमी भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। कई दलों में निर्णय लेने की प्रक्रिया सीमित नेतृत्व तक ही केंद्रित रहती है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों का पूर्णतः पालन नहीं हो पाता। इसके अलावा मतदाता जागरूकता और भागीदारी की कमी भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। कई क्षेत्रों में मतदाता मतदान के प्रति उदासीन रहते हैं या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारणों से मतदान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाते। इससे लोकतंत्र की वास्तविक भावना प्रभावित होती है।

इन सभी समस्याओं के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर सुधार किए जाएँ। चुनावी सुधारों के माध्यम से न केवल चुनाव प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाया जा सकता है, बल्कि लोकतंत्र की विश्वसनीयता और स्थायित्व को भी सुदृढ़ किया जा सकता है।

भारत में अब तक हुए प्रमुख चुनावी सुधार

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय लोकतंत्र को सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर चुनाव प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इन सुधारों का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना रहा है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत में चुनावी सुधारों की प्रक्रिया निरंतर चलती रही है, जिसमें विधायी, प्रशासनिक तथा तकनीकी स्तर पर विभिन्न परिवर्तन किए गए हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का प्रयोग उल्लेखनीय है। पारंपरिक मतपत्र प्रणाली में होने वाली अनियमितताओं, मतों की गिनती में देरी और मतपत्रों की हेराफेरी जैसी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए EVM का प्रयोग प्रारंभ किया गया। इससे मतदान प्रक्रिया अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनी है। इसके अतिरिक्त चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वीवीपैट (Voter Verifiable Paper Audit Trail) प्रणाली को भी लागू किया गया, जिसके माध्यम से मतदाता यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका मत सही उम्मीदवार को दर्ज हुआ है।

इसके साथ ही मतदाता पहचान पत्र (Elector's Photo Identity Card – EPIC) की व्यवस्था भी एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में सामने आई है। इसका उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकना तथा मतदाता की पहचान को प्रमाणित करना है। मतदाता सूची के अद्यतन और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया ने भी चुनावी प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया है। चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उम्मीदवारों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता की घोषणा करना अनिवार्य किया गया है। यह प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के आधार पर लागू किया गया, जिससे मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके और वे सूचित निर्णय ले सकें। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) भी चुनावी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करती है, जिससे चुनावी प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष और मर्यादित बनी रहती है।

चुनावी सुधारों से जुड़े प्रमुख सुझाव

भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता और चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए समय-समय पर विभिन्न आयोगों, विद्वानों और नीति-निर्माताओं द्वारा चुनावी सुधारों से संबंधित अनेक सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं। इन सुझावों का उद्देश्य चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बनाना है, ताकि चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता और जनविश्वास को सुदृढ़ किया जा सके। सबसे महत्वपूर्ण सुझाव चुनावी खर्च पर प्रभावी नियंत्रण से संबंधित है। वर्तमान समय में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया अत्यधिक महंगी होती जा रही है, जिसके कारण राजनीति में धनबल का प्रभाव बढ़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए चुनावी खर्च की सीमा का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने तथा चुनावी व्यय की निगरानी के लिए सशक्त तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही कई विशेषज्ञ राज्य द्वारा चुनावी वित्तपोषण (State Funding of Elections) की व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं, जिससे आर्थिक रूप से सक्षम उम्मीदवारों को मिलने वाले अनुचित लाभ को कम किया जा सके।

दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के अपराधीकरण पर नियंत्रण से जुड़ा हुआ है। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए कड़े कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता महसूस की जाती है। इसके लिए यह सुझाव दिया गया है कि गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप तय होने के बाद ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाए, जिससे राजनीति की नैतिकता और विश्वसनीयता को बनाए रखा जा सके। इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है। राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के स्रोतों का स्पष्ट खुलासा किया जाना चाहिए तथा वित्तीय लेन-देन की नियमित निगरानी की जानी चाहिए। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिलेगा।

चुनावी सुधारों के संदर्भ में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करना भी एक महत्वपूर्ण सुझाव है। राजनीतिक दलों में नेतृत्व चयन और निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक लोकतांत्रिक और पारदर्शी बनाने से लोकतंत्र की मूल भावना को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया में भी अधिक पारदर्शिता और योग्यता को महत्व दिया जाना चाहिए। कुछ विद्वानों ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation System) पर विचार करने का सुझाव भी दिया है, ताकि विभिन्न वर्गों और समूहों का प्रतिनिधित्व अधिक संतुलित और न्यायसंगत रूप से सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त मतदाता शिक्षा कार्यक्रमों को सशक्त बनाकर नागरिकों में लोकतांत्रिक चेतना और मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी आवश्यक है।

चुनावी सुधारों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

भारतीय लोकतंत्र में चुनावी सुधारों की आवश्यकता व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है, किंतु इन सुधारों को प्रभावी रूप से लागू करने की प्रक्रिया अनेक चुनौतियों से घिरी हुई है। ये चुनौतियाँ राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक तथा कानूनी स्तर पर विद्यमान हैं, जो चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के प्रयासों को जटिल बना देती हैं। परिणामस्वरूप कई महत्वपूर्ण सुधारों के सुझाव होने के बावजूद उनका क्रियान्वयन अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाता। सबसे प्रमुख चुनौती राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी है। चुनावी सुधारों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव ऐसे हैं, जिनके कार्यान्वयन के लिए राजनीतिक दलों की सहमति आवश्यक होती है। किंतु कई बार राजनीतिक दल अपने तात्कालिक हितों के कारण ऐसे सुधारों को लागू करने में रुचि नहीं दिखाते। उदाहरण के लिए, चुनावी वित्तपोषण में पूर्ण पारदर्शिता या राजनीति के अपराधीकरण पर कठोर प्रतिबंध जैसे मुद्दों पर व्यापक सहमति बनाना कठिन होता है।

इसके अतिरिक्त कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समस्या भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है। यद्यपि चुनाव प्रक्रिया से संबंधित अनेक नियम और प्रावधान मौजूद हैं, फिर भी उनका पूर्णतः पालन सुनिश्चित करना हमेशा संभव नहीं हो पाता। चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन, अवैध चुनावी खर्च, मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास तथा अन्य अनियमितताएँ कई बार सामने आती हैं, जिन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चुनौतीपूर्ण होता है। राजनीति का अपराधीकरण भी चुनावी सुधारों के मार्ग में एक गंभीर बाधा है। कई क्षेत्रों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों का राजनीतिक प्रभाव इतना अधिक होता है कि उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करना या उन्हें चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना आसान नहीं होता। यह स्थिति लोकतांत्रिक मूल्यों और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता के लिए चिंता का विषय है।

इसके अतिरिक्त मतदाता जागरूकता की कमी भी चुनावी सुधारों के प्रभाव को सीमित कर देती है। यदि मतदाता अपने अधिकारों और चुनावी प्रक्रियाओं के प्रति पूर्णतः जागरूक नहीं हैं, तो सुधारों का अपेक्षित परिणाम प्राप्त करना कठिन हो जाता है। कई बार सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक कारणों से मतदाता मतदान प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते, जिससे लोकतंत्र की वास्तविक भावना प्रभावित होती है। इसके साथ ही तकनीकी और प्रशासनिक चुनौतियाँ भी चुनावी सुधारों के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में चुनावों का आयोजन अत्यंत जटिल कार्य है। दूरस्थ क्षेत्रों में मतदान की व्यवस्था, मतदाता सूची का अद्यतन, तकनीकी प्रणालियों का संचालन तथा चुनावी प्रबंधन से जुड़े अन्य कार्य प्रशासनिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण होते हैं।

चुनावी सुधारों में निर्वाचन आयोग की भूमिका

भारतीय लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में निर्वाचन आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को देश में संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का संचालन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने की संवैधानिक जिम्मेदारी प्रदान की गई है। एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संवैधानिक संस्था के रूप में निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखना तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना है। निर्वाचन आयोग चुनावी सुधारों को लागू करने और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न पहल करता रहा है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए आयोग ने तकनीकी साधनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) तथा वीवीपैट (VVPAT) प्रणाली का प्रयोग इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने मतदान प्रक्रिया को अधिक सरल, त्वरित और विश्वसनीय बनाया है। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची के अद्यतन, ऑनलाइन पंजीकरण तथा डिजिटल प्रबंधन जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से चुनावी प्रशासन को अधिक व्यवस्थित और आधुनिक बनाया गया है।

निर्वाचन आयोग द्वारा लागू की गई चुनाव आचार संहिता (Model Code of Conduct) भी चुनावी सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन है। यह आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और समान अवसर के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित हो। आयोग चुनाव के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई भी करता है, जिससे चुनावी प्रतिस्पर्धा में संतुलन और अनुशासन बनाए रखा जा सके। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग मतदाता जागरूकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम भी संचालित करता है। सिस्टेमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन (SVEEP) जैसे अभियानों के माध्यम से नागरिकों को मतदान के महत्व और लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है। इससे मतदाता भागीदारी को बढ़ावा मिलता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया

अधिक सशक्त बनती है।

निर्वाचन आयोग समय-समय पर सरकार और संसद को चुनावी सुधारों से संबंधित सुझाव भी प्रदान करता है। चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता, राजनीति के अपराधीकरण पर नियंत्रण तथा चुनावी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए आयोग ने कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। यद्यपि इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए विधायी समर्थन आवश्यक होता है, फिर भी आयोग की पहल चुनाव प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का कार्य करती है।

भविष्य की संभावनाएँ और उपाय

भारतीय लोकतंत्र की निरंतर प्रगति और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए भविष्य में चुनावी सुधारों की दिशा में ठोस और दूरदर्शी कदम उठाने की आवश्यकता है। बदलते सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक परिवेश में यह आवश्यक हो गया है कि चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा आधुनिक बनाया जाए। इसके लिए सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलों तथा नागरिक समाज सभी को मिलकर समन्वित प्रयास करने होंगे। सबसे पहले, तकनीकी नवाचारों का प्रभावी उपयोग चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने में सहायक हो सकता है। मतदाता सूची के डिजिटलीकरण, ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण, डिजिटल निगरानी तंत्र तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से चुनावी प्रबंधन को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही भविष्य में सुरक्षित तकनीकी व्यवस्थाओं के माध्यम से दूरस्थ मतदान (Remote Voting) जैसी प्रणालियों पर भी विचार किया जा सकता है, जिससे प्रवासी या दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके।

इसके अतिरिक्त राजनीतिक दलों के वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चंदे और चुनावी व्यय की जानकारी को सार्वजनिक करना तथा स्वतंत्र निगरानी तंत्र को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण होगा। इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और धनबल के प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकेगा। भविष्य में चुनावी सुधारों के संदर्भ में राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए कठोर कानूनी प्रावधान भी आवश्यक होंगे। आपराधिक मामलों में आरोपित व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने तथा त्वरित न्यायिक प्रक्रिया सुनिश्चित करने से राजनीतिक व्यवस्था की नैतिकता और विश्वसनीयता को सुदृढ़ किया जा सकता है। इसके साथ ही मतदाता शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है। लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति कितने जागरूक हैं। यदि मतदाता अधिक जागरूक और सक्रिय होंगे, तो वे अधिक जिम्मेदारी के साथ अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग और विभिन्न सामाजिक संगठनों के सहयोग से मतदाता जागरूकता अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र की सफलता और स्थायित्व काफी हद तक चुनाव प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। चुनाव लोकतांत्रिक व्यवस्था का वह माध्यम है जिसके द्वारा नागरिक अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं और शासन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि चुनाव प्रक्रिया पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा पारदर्शी हो, ताकि लोकतंत्र की मूल भावना सुरक्षित रह सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में चुनाव प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग, वीवीपैट प्रणाली का समावेश, मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था, उम्मीदवारों द्वारा

आपराधिक पृष्ठभूमि और संपत्ति की घोषणा जैसी व्यवस्थाएँ चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुई हैं। इन सुधारों के कारण भारतीय चुनाव प्रणाली ने विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक अभ्यास के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी है।

फिर भी वर्तमान समय में चुनाव प्रणाली के समक्ष कई चुनौतियाँ विद्यमान हैं, जिनमें राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभाव, राजनीति का अपराधीकरण, चुनावी वित्तपोषण में पारदर्शिता की कमी तथा मतदाता जागरूकता का अभाव प्रमुख हैं। इन समस्याओं के कारण चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि चुनावी सुधारों की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखा जाए और इन चुनौतियों का प्रभावी समाधान खोजा जाए। इसके लिए निर्वाचन आयोग, सरकार, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज और मतदाताओं सभी की सक्रिय और सकारात्मक भूमिका आवश्यक है। यदि चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और न्यायसंगत बनाया जाता है, तो इससे न केवल लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता बढ़ेगी, बल्कि शासन प्रणाली भी अधिक जनोन्मुख और उत्तरदायी बन सकेगी।

अतः यह कहा जा सकता है कि चुनावी सुधार भारतीय लोकतंत्र की सुदृढ़ता के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। इन सुधारों के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए एक ऐसी चुनाव प्रणाली विकसित की जा सकती है, जो अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और जनहितकारी हो तथा भारत के लोकतांत्रिक भविष्य को और अधिक मजबूत बना सके।

संदर्भ सूची

1. बसु, दुर्गा दास। (2015). भारत का संविधान: एक परिचय। नई दिल्ली: लेक्सिसनेक्सिस।
2. कश्यप, सुभाष सी. (2019). भारतीय संविधान और संसदीय लोकतंत्र। नई दिल्ली: नेशनल बुक ट्रस्ट।
3. सिंह, एम. पी., एवं राय, रेखा सक्सेना। (2017). भारतीय राजनीति और शासन। नई दिल्ली: पीयरसन।
4. कोहली, अतुल। (2012). भारत में लोकतंत्र और विकास। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
5. जाफरेलॉट, क्रिस्टोफ। (2015). भारत में राजनीति और समाज। नई दिल्ली: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
6. निर्वाचन आयोग भारत। (2023). भारत में चुनाव प्रणाली: एक परिचय। नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग।
7. Election Commission of India. (2022). Handbook for Returning Officers. New Delhi: Election Commission of India.
8. Law Commission of India. (2015). Electoral Reforms Report No. 255. New Delhi: Government of India.
9. Goswami, G. (2016). Electoral Reforms in India: Issues and Challenges. Indian Journal of Political Science, 77(2), 245–254.
10. Sridharan, E. (2014). Electoral Reforms and Political Funding in India. Economic and Political Weekly, 49(12), 47–55.
11. Chhibber, Pradeep & Nooruddin, Irfan. (2013). Party Competition in Indian

States. New Delhi: Oxford University Press.

12. Yadav, Yogendra & Palshikar, Suhas. (2009). Between Fortuna and Virtu: Explaining the Congress' Ambiguous Victory in 2009. Economic and Political Weekly, 44(39), 33–46.
13. Suri, K. C. (2018). Democracy, Elections and Electoral Politics in India. Studies in Indian Politics, 6(1), 1–12.